



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 03.09.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही



पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत तीन सवारी बिना हेलमेट एवं अवैध पार्किंग के विरुद्ध पंडित दीनदयाल चौराहा, रेलवे स्टेशन, ओवर ब्रिज, संजय पैथोलॉजी, धर्मशाला, जीआईसी तिराहे पर चेकिंग की गई एवं आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में जानकारी एवं जागरूक किया गया।

आम जनमानस को जागरूक करने के क्रम में लोगों को बताया गया कि यातायात नियमों की जानकारी ना होने या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करने के कारण आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें जैसे - वाहन चलाते समय हेलमेट/सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गति में चलाएं, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टंट बाइकिंग से बचें, काली फिल्म/हूटर प्रेशर/हॉर्न का प्रयोग ना करें, गलत दिशा में ना चलें। इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि ना खड़ा करें एवं रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं।

यातायात नियमों की अनदेखी/ अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कुल 115 वाहनों का चालान तथा 02 वाहनों को सीज करते हुए कुल 1,01,500/- रु0 जुर्माना आधिरोपित किया गया।

थाना गोला पुलिस द्वारा, 1.1 किलोग्राम गांजा सहित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 03.09.22 को थाना गोला पुलिस द्वारा अभियुक्त अनुभव गुप्ता उर्फ छोटू पुत्र सुधीर कुमार गुप्ता नि० मो० गढी थाना गोला जनपद खीरी को 01 किलो 100 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र०नि० श्री धर्मप्रकाश शुक्ला
2. उ०नि० विपिन कुमार
3. का० राजेन्द्र गंगवार
4. का० सूर्यप्रताप राघव
5. का० गौरव उज्जवल

थाना गोला पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस सहित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 03.09.22 को थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 611/22 धारा 307 भादवि0 में वांछित अभियुक्त शीबू पुत्र भन्नू निवासी मो0 गढी थाना गोला जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 श्री धर्मप्रकाश शुक्ला
2. उ0नि0 अवनेश कुमार
3. का0 शिवओम
4. का0 गौरव सिंह

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, 78 ग्राम अवैध नशीले पदार्थ सहित जिला बदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में वांछित/वारण्टी/जिलाबदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 03.09.22 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा 78 ग्राम अवैध नशीले पदार्थ सहित जिला बदर अभियुक्त सुल्तानी पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम नानकपुर (मझरा पूरब) थाना तिकुनिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त वाद सं० 2280/21 धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा अधिनियम 1970 में 6 माह के लिए निष्कासित/जिलाबदर अपराधी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. व०उ०नि० राजकुमार भारती थाना तिकुनिया
2. हे०का० सुभाष निषाद थाना तिकुनिया
3. का० राजकुमार थाना तिकुनिया
4. का० प्रशांत तेवतिया थाना निघासन

थाना निघासन पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद स्तर पर चलाये जा रहे वारण्टी / वाछिंत / संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 श्री चन्द्रभान यादव थाना निघासन के कुशल मार्गदर्शन में निघासन पुलिस बल द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त 1. हबीब अली पुत्र सरदार निवासी ग्राम पढुवा थाना निघासन जनपद खीरी सम्बन्धित अ0सं0 630/13 व केस नं0 1/14 धारा 323/376/506 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट तारीख पेशी 03.09.2022 ,2. शरीफ पुत्र नत्था निवासी पढुवा थाना निघासन जनपद खीरी सम्बन्धित मु0सं0 2529-12 धारा 4/25 आयुध अधिनियम तारीख पेशी 09.09.2022 इन वारण्टी अभियुक्तगण को इनके घर से गिरफ्तार किया गया है। नियमानुसार कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 गजेन्द्र सिंह थाना निघासन
- 2.हे0का0 अबरार हुसैन थाना निघासन
- 3.हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना निघासन
4. का0 नीरज कुमार थाना निघासन
5. का0 संदीप कुमार थाना निघासन

थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्तें व कुल 2600/- रुपये नगद बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना सम्पूर्णानगर पर मु0अ0सं0 231/22 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

- थाना पसगवाँ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 391/22 धारा 379/411 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1. करन पुत्र नवीन, 2. राजन पुत्र रामनिवासी सर्व निवासीगण उचौलिया थाना पसगवाँ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 65 लीटर अवैध शराब बरामद कर 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **65 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **01 शराब भट्टी** बरामद कर **06 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **06 अभियोग** पंजीकृत किए गए।